



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 509/2013 धारा- 363,366,376 भा0द0सं0 व 04 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पोक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामकुमार पुत्र नत्थू कुशवाहा निवासी रिरुआ थाना आटा जनपद जालौन को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
उ0नि0 रुम सिंह
यादव



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 रजनीश कुमार
यादव